an>

Title: Issue regarding alleged encroachment on cremation ground in Balram Pur, Uttar Pradesh.

श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने उच्च अधिकारियों द्वारा वर्ग छः की श्मसान भूमि पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्ञातव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर भारत सरकार सहित राज्य सरकारों को भी आगाह किया है कि वर्ग छः के तहत दर्ज भूमि का न तो अधिग्रहण किया जाये और न ही उस भूमि का स्वरूप बदला जाये।

पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी जैसे अहम पदों पर आसीन लोगों की यह जिम्मेदारी है कि श्मसान भूमि, गोचर भूमि, कब्रिस्तान आदि वर्ग छः में दर्ज भूमि को अतिक्रमण से बचायें, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम नागरिक या जनता आखिर किसके पास जाये। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ने गाटा संख्या 894, जो कि वर्ग छः में श्मसान भूमि के नाम से दर्ज है तथा गाटा संख्या 895 आदि पर अनधिकृत कब्जा करके बाउण्ड्रीवाल करवा ली है, दोनों उच्च अधिकारियों के रुतबे के सामने शासन मूकदर्शक बना हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सक्षम एजेंसियों से इसकी जांच करवाकर दोÂ○ा○ळ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये और जबरन कब्जा की गई भूमि को मुक्त करवाया जाये।